रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225460 CG-DL-E-25022021-225460

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] No. 97] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली. 25 फरवरी. 2021

सं. 10/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 138(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पिठत, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/32/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया

1215 GI/2021 (1)

है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया था ।

और जहां कि, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जनवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को 28 फरवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और भी आगे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.िन. 122(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंक और शब्द "28 फरवरी, 2021" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/28/2004–टीआरयू (पार्ट-II)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 को सा.का.िन. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जनवरी, 2021, जिसे सा.का.िन. 7(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2021

No. 10/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 138(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/32/2020-DGTR, dated the 22nd September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd September, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Melamine' (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016, and had requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 28th February, 2021, *vide*

notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/2021-Customs (ADD), dated the 6th January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 7(E), dated the 6th January, 2021;

And whereas, the designated authority has requested for further extension of the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures and word "28th February, 2021", the figures and word "31st March, 2021" shall be substituted.

[F. No. 354/28/2004-TRU (Pt-II)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2016-Customs (ADD), dated the 28th January, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 28th January, 2016 and was last amended *vide* notification No. 1/2021-Customs (ADD), dated the 6th January, 2021, published *vide* number G.S.R. 7 (E), dated the 6th January, 2021.